न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन क्र. 261/2022 अन्तर्गत धारा [illegible]

दोपदी वगैरा बनाम रेखा वगैरा

पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कालबी आर.ए.एस.

प्रार्थीनीगण वकील : श्री [illegible] विश्नोई

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वकील :- श्री हुकमसिंह सोढा

निर्णय दिनांक [illegible] 2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनीगण ने प्रार्थना पत्र में [illegible] किया है कि तहसील सेड़वा पटवार हल्का पनोरिया के मौजा ख्वाला के खेत खसरा संख्या 579/329 रकबा 4.0792 हैक्टर किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 580/329 रकबा 8.1584 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीनीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। [illegible] प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय उक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण मेड़ को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनीगण एव विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीनीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर [illegible] पैमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीनीगण ने पैमाईश एव नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। [illegible] प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस [illegible] प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता हुकमसिंह सोढा आये। विपक्षी वकील को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया अतः उनका जवाब का अवसर बन्द किया जाता है तथा शेष विप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनीगण के वक्त काश्त प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीनीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एव नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीनीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेड़वा पटवार हल्का पनोरिया के मौजा ख्वाला के खेत खसरा संख्या 579/329 रकबा 4.0792 हैक्टर किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 580/329 रकबा 8.1584 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का [illegible] दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीनीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण [illegible] पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को [illegible] परिसर मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:59:12 IST
Reason: SelfAttested